आयुक्त राज्य कर छत्तीसगढ़, रायपुर

आदेश क्रमांक 06/2017-जीएसटी

रायपुर, दिनांक : 28 अक्टूबर, 2017

विषय : प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 में आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा में वृद्धि।

क्रमांक सीजीएसटी /01 / 2017 (11) — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 168 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 24 के उप—िनयम (2) के खण्ड (ब) का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एतद्द्वारा, प्ररूप जीएसटी आरईजी—26 में आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने की अवधि 31 दिसंबर, 2017 तक बढ़ायी जाती है।

(संगीता पी.) राज्य कर आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

Commissioner of State Tax Chhattisgarh, Raipur

Order No. 06/2017-GST

Raipur, 28th October, 2017

Subject: Extension of time limit for submitting application in FORM GST REG-26

No./CGST/01/2017 (11) - In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (2) of rule 24 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), on the recommendations of the Council, the period for submitting electronically the application in the **FORM GST REG-26** is here by extended till 31st December 2017.

(Sangeetha P.) Commissioner, State Tax Chhattisgarh, Raipur